तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2573/2005/अलवर साहबखा बनाम रामकिशन	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री माधवराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण

श्री मुकेश जैन, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 15.02.2024

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखंड अधिकारी, रामगढ द्वारा प्रकरण संख्या– 1/6819/2000 बउनवानी सोमोती बनाम हिम्मत में पारित निर्णय दिनांक 25–05–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा प्रतिवादी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी को खारिज किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागर्ण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि पूर्ववर्ती वाद में मुखराम जो कि बोधन का पुत्र था, जिसके विपक्षीगण वारिसान है, उन्होंने विवादित आराजी को बोधन की होना बताते हुए खातेदार होना कथन किया है किन्तु पूर्व वाद की अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं मण्डल हाजा ने बोधन का विवादित आराजी पर कोई हक व हिस्सा नहीं होना मानते हुए प्रार्थीगण का वाद डिक्री किया। इस प्रकार पूर्ववर्ती वाद मण्डल हाजा तक प्रार्थीगण के बीच निर्णीत हो चुका है तो उसी विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत पश्चात्वर्ती वाद धारा 11सीपीसी के प्रार्थनापत्र पर रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज योग्य था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर प्रार्थनापत्र को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11सीपीसी को स्वीकार कर वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से तर्क किया है कि पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चातवर्ती वाद में पक्षकार समान नहीं है, अनुतोष भी अलग अलग होने से पश्चात्वर्ती वाद धारा 11सीपीसी के तहत बार्ड बाई लॉ नहीं है। इसके अतिरिक्त भी यदि पश्चात्वर्ती वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2573/2005/अलवर साहबखा बनाम रामकिशन	नम्बर व तारीख

हो तो उसका निर्धारण तनकी कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11सीपीसी विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण सोमोती, रेवती एवं मुखराम अप्रार्थीगण के पूर्वज की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम अलावडा स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 426 एवं 427 बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी हिम्मत प्रार्थीगण के पूर्वज के विरूद्ध वर्ष 1965 में प्रस्तुत किया। उक्त वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से दिनांक 4-5-2005 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर निगराधीन आदेश दिनांक 25-5-2005 से प्रतिवादी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11सीपीसी को खारिज किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से पूर्ववर्ती वाद का निस्तारण होने से पश्चात्वर्ती वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने का आधार बनाते हुए धारा 11सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। रेसज्यूडिकेटा का बिन्दू साक्ष्य का मोहताज होता है, जिसके आधार पर पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार व वाद बिन्दू समान है और वाद का अन्तिम रूप से निर्धारण हो चुका है, का निर्धारण किया जा सकता है। मौजूदा प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में पक्षकारों को भिन्न बताया है। राजस्व मण्डल के पूर्व निर्णय में मिश्री बेवा मुखराम के वारिसान अपीलान्ट रहे है और हिम्मत मेव रेस्पोडेन्ट रहा है, जिसका निर्णय दिनांक 20-9-1994 को हुआ है लेकिन मौजूदा वाद में वादी श्योनारायण के वारिस व सोमोती व रेवती भी है, जो मुखराम की सन्तान हो, ऐसा मण्डल हाजा के निर्णय दिनांक 20-9-1994 अपील संख्या 239/1985 में उनवान से प्रकट नहीं होता है। इसमें केवल मात्र मुखराम ब्राहमण के वारिस है, इसलिए पक्षकार समान हो प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है और फिर धारा 11सीपीसी के निर्णय में केवल मात्र पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती वाद में समान पक्षकार एवं समान अनुतोष को देखा जाना है, प्रतिवादी ने कोई आपत्ति ली हो तो उसकी तनकी बना कर ही रेसज्यूडिकेटा के बिन्दू का विनिश्चय किया जाना चाहिए, जब तक की वह पूर्णतयाः किसी विधि द्वारा वर्जित नही हो या आदेश 7 नियम 11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2573/2005/अलवर साहबखा बनाम रामकिशन	नम्बर व तारीख

सीपीसी एवं धारा 11सीपीसी के स्पष्ट प्रावधानों की परिधि में नहीं आता है। धारा 11सीपीसी के तहत विवाद बिन्दू प्रत्यक्षतः व सारतः अन्तिम रूप से निर्णीत कर दिये गये हो, जो दूसरे वाद में है तो ही धारा 11सीपीसी के प्रावधान आकर्षित होते है और तब ही विधि द्वारा वर्जित वाद माना जा सकता है। रेसज्यूडिकेटा का बिन्दू पूर्णतयाः तथ्यों एवं विधि का मिश्रित प्रश्न होता है और जिसका निर्णय तनकी बना कर ही किया जा सकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया है जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायेाचित नहीं है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि मूल वाद वर्ष 1965 से विचाराधीन होने से दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत करते हुए छः माह में इसका निर्धारण करें। यदि प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाबदावे में रेसज्यूडिकेटा बाबत् आपत्ति ली गयी हो तो प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11सीपीसी एवं जवाबदावे में ली गयी आपत्ति के आधार पर रेसज्यूडिकेटा बाबत् कानूनी तनकी कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर सर्वप्रथम इस बिन्दू का विनिश्चय करें।

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ के न्यायालय में दिनांक 06-03-2024 को उपस्थित हो।

निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य